Tele : 26189210
Fax : 2618 3227
Web: www.ncbc.nic.in

त्रिकूट-१, भीकाजी कामा प्लेस,
नई दिल्ली – ११००६६
Trikoot-1, Bhikaji Cama Place,
New Delhi - 110066

सत्यमेव जयते

भारत सरकार
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग

Government of India

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE & EMPOWERMENT
NATIONAL COMMISSION FOR BACKWARD CLASSES

(A Constitutional body exercising powers of Civil Court under Article 338 'B' of the Constitution of India)

F.No. NCBC/06/12/140/2019-CP **Dated: 26.03.2021**

To,

The Secretary
Education Department, Bihar
Government of Bihar,
Patna, Bihar.
(Email: secycell.education@gmail.com)

The Chairman,
BPSC, 15 Jawaharlal Nehru,
Marg, Bailey Road,
Patna- 800001, Bihar
(Email: bpscpat-bih@nic.in)

Sub: Regarding not following reservation policy in recruitment of Assistant Professor (Commerce) by BPSC.

Sir,

I am directed to refer to the hearing dated 12.03.2021 on the above mentioned subject and to forward herewith Minutes of the hearing along with the recommendation of NCBC for necessary action and furnish action taken report to this Commission at the earliest.

2. This issues with the approval of Hon'ble Chairman, NCBC.

Encl: As above

Yours faithfully,

M.M. Chattopadhyay.

(Dr. M.M. Chattopadhyay)
Joint Director (Admin)

मि. सं. रा. पि. व. आ./06/12/140/2019-सी. पी.
मि. सं. रा. पि. व. आ./06/01/169/2020-सी. पी.
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग
अनुसंधान अनुभाग
सुनवाई के कार्यवृत

श्री राकेश कुमार एवं श्री मनीष कुमार द्वारा प्राप्त शिकायत में बिहार लोक राज्य सेवा आयोग द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर (वाणिज्य) में आरक्षण के नियमों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में माननीय अध्यक्ष, डॉ. भगवान लाल साहनी एवं श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, भारत सरकार के समक्ष कोर्ट रूम, ग्राउंड फ्लोर, त्रिकूट -1, भीकाजी कामा प्लेस, नई दिल्ली -110066 में दिनाँक 12.03.2021 समय 02:00 बजे अपराह्न सुनवाई नियत की।

सुनवाई मे उपस्थित अधिकारी
राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग :-

1. श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य
2. डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य
3. श्री दिनेश कुमार, निजी सचिव मा. अध्यक्ष
4. डॉ. राजुल रायकवार, अनुसंधान अधिकारी

आयोग के समक्ष उपस्थित अधिकारीगण :-

1. डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार
2. श्री विनय कुमार, डिप्टी सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, बिहार

उपस्थित शिकायतकर्ता :-

1. श्री राकेश कुमार
2. श्री मनीष कुमार

सुनवाई के दौरान हुए चर्चा का विस्तृत विवरण;

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: जिस विषय पर सुनवाई हो रही है क्या आप उसके विज्ञापन की प्रति आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या आप अपनी मुहर लेकर आए हैं?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी नहीं ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: तो आप विज्ञापन के सभी पेजों पर अपने हस्ताक्षर कीजिए।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: बिहार राज्य सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित की जाने वाली नियुक्तियों में अंतिम अनुमोदन किस अधिकारी का होता है?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: माननीय अध्यक्ष जी का।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आयोग शपथ पत्र पर बिहार राज्य सेवा आयोग की तरफ से उपस्थित अधिकारी से यह जानना चाहता है कि आपके यहां किस-किस केटेगरी को आरक्षण दिया जाता है कृपया पूरा चार्ट बनाकर आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिए।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप इतने बड़े अधिकारी हैं एवं आपको यह भी नहीं पता है कि शपथ पत्र पर कोई जानकारी किस प्रकार लिख कर दी जाती है।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: सर मैं पुनः लिख देता हूँ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: बिहार राज्य में शिक्षा विभाग का क्या कार्य होता है?

श्री विनय कुमार, डिप्टी सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, बिहार: फंडिंग देने का कार्य शिक्षा विभाग का होता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: स्टेट यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट कौन करता है।

श्री विनय कुमार, डिप्टी सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, बिहार: अभी तक तो बिहार राज्य सेवा आयोग ही स्टेट यूनिवर्सिटी की एडवर्टाइजमेंट करता है परंतु अभी यूनिवर्सिटी कमीशन का गठन हुआ है तो इसके बाद से अब यूनिवर्सिटी के बिहाफ पर यूनिवर्सिटी कमीशन ही एडवर्टाइजमेंट करेगा। यूनिवर्सिटी स्वयं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं करती है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: यह शपथ पत्र पर आपने अनारक्षित क्यों लिखा है।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: क्योंकि यह अनारक्षित वर्ग की है इसमें किसी भी वर्ग के व्यक्ति का चयन किया जा सकता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: तो फिर आप के विज्ञापन में अनारक्षित के स्थान पर जनरल क्यों लिखा हुआ है?

आज ही अध्यक्ष बिहार राज्य सेवा आयोग को माननीय अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा एक पत्र लिखवाइए कि बिहार राज्य सेवा आयोग के अधिकारियों को यह भी नहीं पता है कि अनारक्षित लिखा जाता है अथवा जनरल लिखा जाता है।

आयोग जानना चाहता है कि ओबीसी कैटेगरी का रिजर्वेशन लागू होने के उपरांत अभी तक कुल कितने ओबीसी के उम्मीदवार अपनी स्वयं की मेरिट पर अनारक्षित पद पर नियुक्त हुए हैं?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: वर्तमान समय में यह सूची हमारे पास उपलब्ध नहीं है। आंकड़े एकत्रित करके आयोग को अवगत कराया जाएगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: यदि शिकायतकर्ता के पास यह सूची है तो आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

श्री राकेश कुमार (शिकायतकर्ता): जी सर। (सूची प्रस्तुत की गई)

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: 28, 31, 35, 39, 42 ये सब किस स्थान पर है मेरिट में एवं किस केटेगरी में चयनित हुए है? सामान्य वर्ग का कट ऑफ कितना है?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: यूनिवर्सिटी वाइज कटऑफ है एवं अधिमानता के आधार पर यूनिवर्सिटी वाइज चयन हुआ है। यदि इनको अधिमानता के आधार पर चयनित नहीं किया गया होता तो इनके अंकों के आधार पर यह जनरल केटेगरी में ही चले जाते, परंतु सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है कि यदि कोई मेरिट में है एवं उसने अपनी अधिमानता दर्शायी है तो उसका चयन अधिमानता के आधार पर ही किया जाएगा।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आयोग को वह आवेदन दिखाइए जिसमे अधिमानता दर्शायी गई है।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: वर्तमान समय में हमारे पास उपलब्ध नहीं है।

श्री दिनेश कुमार, माननीय अध्यक्ष के निजी सचिव: यह जो अधिमानता के आधार पर चयन बता रहे हैं असल में यह पोस्ट बेस्ड के आधार पर बता रहे हैं जैसे सिविल सर्विस में सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया है कि अधिमानता के आधार पर चयन किया जाएगा परंतु यहां पर तो एक ही पोस्ट है असिस्टेंट प्रोफेसर और एक समान वेतन है तो इसमें यह लागू नहीं होगा।

श्री राकेश कुमार (शिकायतकर्ता): यहां पर तो असिस्टेंट प्रोफेसर का जो पद है वह समान ही है एवं सभी लोगों ने 10-10 विकल्प दिये है।

डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य: अभ्यर्थियों द्वारा जो अधिमानता दी गई है उसकी एक सूची आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिए।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी ।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: बिहार राज्य सेवा आयोग का सभी शैक्षणिक पदों का अनुमोदित रोस्टर रजिस्टर आयोग को उपलब्ध करवाएं।

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: रोस्टर बिहार राज्य सेवा आयोग द्वारा नहीं बनाया जाता है यह शिक्षा विभाग के द्वारा ही प्रदान किया जाता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: शिक्षा विभाग की ओर से उपस्थित अधिकारी आयोग के समक्ष रोस्टर प्रस्तुत करें।

श्री विनय कुमार, डिप्टी सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, बिहार: वर्तमान समय में रोस्टर उपलब्ध नहीं है जल्दी ही आयोग को दिया जाएगा।

डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य: आपके द्वारा जो अधिमानता दी जा रही है क्या उससे संबंधित कोई नियमावली आपके पास है?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी, 5.4 बिंदु पर अधिमानता से संबंधित नियमावली दर्शाई गई है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: आप कब तक रोस्टर आयोग के समक्ष प्रस्तुत कर देंगे?

श्री विनय कुमार, डिप्टी सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, बिहार: रोस्टर यूनिवर्सिटी ही क्लियर करके भेजती हैं हमें भी यूनिवर्सिटी से ही लेना पड़ेगा इसीलिए थोड़ा समय लग जाएगा।

डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य: तो आप कम से कम एक यूनिवर्सिटी का तो बुधवार तक भेजिए उसके बाद बाकी की बची हुई यूनिवर्सिटी से एकत्रित करके आयोग के समक्ष प्रस्तुत कीजिए।

श्री विनय कुमार, डिप्टी सेक्रेट्री, शिक्षा विभाग, बिहार: जी।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: क्या आपके यहां अन्य पिछड़ा वर्ग, अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य का साक्षात्कार अलग अलग होता है?

डॉ. मनोज कुमार झा, डिप्टी सेक्रेट्री, बिहार राज्य सेवा आयोग, बिहार सरकार: जी नहीं सर, हमारे यहां एक साथ ही सभी का साक्षात्कार होता है और हमारे यहां किसी की भी जाति इत्यादि पूछना भी सख्त मना है कोई भी किसी की जाति, कैटेगरी या अन्य जानकारी साक्षात्कार के समय नहीं पूछ सकता है।

श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल, माननीय सदस्य: बिहार राज्य सेवा आयोग अधिमानता के आधार पर ओरिजिनल फॉर्म एवं शिक्षा विभाग रिजर्वेशन रोस्टर बुधवार तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें।

सुनवाई के पश्चात् श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल एवं डॉ. सुधा यादव, माननीय सदस्य ने यह अपेक्षा की है कि बिहार राज्य सेवा आयोग अधिमानता के आधार पर ओरिजिनल फॉर्म एवं शिक्षा विभाग रिजर्वेशन रोस्टर बुधवार तक आयोग के समक्ष प्रस्तुत करें। अपेक्षित जानकारी आयोग के समक्ष प्रस्तुत होने के पश्चात् अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की जाएगी।

दिनाँक:

स्थान: नई दिल्ली

(श्री कौशलेन्द्र सिंह पटेल)

माननीय सदस्य, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग